परिशिष्ट XII

स्थानान्तरण नीति

1. सामान्य

स्थानान्तरण के मामले में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी की गई स्थानान्तरण नीति और अनुदेश मार्गदर्शी स्वरूप के है और बाध्यकारी नहीं है। ये मार्गदर्शी सिद्धांत स्थानान्तरण नीति द्वारा शासित अधिकरियों के जीविका विकास तथा कार्य के हित में निर्धारित किए गए हैं।

कार्यकाल

2. स्थानान्तरण के उद्देश्य से आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्र और कार्यालयों को तीन श्रेणियों अर्थात् "क", "ख" और "ग" में बांटा गया है। स्थानान्तरण संबंधी सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त और केन्द्रों/कार्यालयों का श्रेणीकरण अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

3. "क" और "ख" श्रेणी में आने वाले केन्द्रों/कार्यालयों पर आमतौर पर कार्यकाल की अवधि पर चार वर्ष है। "ग" श्रेणी के अंतर्गत आने वाले केन्द्रों/कार्यालयों की अवधि दो वर्ष है। श्रेणी (ग) केन्द्रों को "डिफीकल्ट केन्द्र" के नाम से जाना जाता है। इन डिफीकल्ट केन्द्रों पर कार्यकाल के पूरा करने के पश्चात् अधिकारी अपनी इच्छा के अनुसार तैनाती पाने के हकदार हैं। इस उद्देश्य से उन्हें अभिमान क्रम से विभिन्न केन्द्रों पर अपनी इच्छा के उपनुसार तीन केन्द्रों/कार्यालयों के नाम बतलाने होंगे, जहाँ तक सम्भव होगा उन पर विचार किया जाएगा तथा उन्हें लागू किया जाएगा

4. विज्ञापन प्रसारण सेवा केन्द्रों, केन्द्रीय बिक्री एकक और विविध भारती में कार्यकाल तीन वर्ष का रखा गया है। इससे पूर्व इन केन्द्रों/कार्यालयों पर कार्यालय चार वर्ष का था। तथापि विज्ञापन प्रसार सेवा केन्द्रों के कार्यकरण की जांच करने वाली समिति ने सिफारिश की है कि इन कार्यालयों में तैनात अधिकारियों को तीन वर्षों के बाद स्थानान्तरित कर दिया जाए। अनुबंध में, विज्ञापन प्रसारण सेवा केन्द्रों में तैनात कार्मिकों के मामले में, अन्तर्विष्ट प्रावधान, कार्यकाल के मामले में चार वर्ष की बजाय तीन वर्ष के रूप में संशोधित समझे जाए। समिति को सिफारिशों को नीचे उद्धृत किया जा रहा है :–

स्थानान्तरण उत्तरवदिता

5. व्यवहार्य रूप से केन्द्रों पर तैनात सभी "क" और "ख" समूह के राजपत्रित अधिकारी अखिल भारतीय स्थानान्तरण उत्तरवादिता के अधीन शासित हैं। ग्रुप "ग" के अधिकारियों का स्थानान्तरण क्षेत्रीय उत्तरवादिता पर आधारित है।

पूर्वोत्तर केन्द्रों में कार्यालय

6. पूर्वोत्तर क्षेत्र में काफी बड़ी संख्या में आकाशवाणी के केन्द्र/कार्यालय स्थित हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में कार्मिक और प्रशासन विभाग द्वारा अलग से मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं ताकि इस क्षेत्र में कार्यरत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण के मामलें में एक सी नीति अपनाई जा सके। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में दो किस्म के कार्यकाल निर्धारित किए गए हैं। जिन अधिकारियों ने 10 वर्ष से कम की सेवा अवधि पूरी तरह की है, उनके लिए कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष है। दस वर्षों से अधिक की सेवा वाले अधिकारियों के लिए कार्यकाल की अवधि दो वर्ष निर्धारित की गई। पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित कार्यालयों/केन्द्रों पर तैनात आकाशवाणी के कर्मचारियों को इस दिशा निर्देशों के अनुसार शासित हैं। अनुलग्नक-1 में दी गई स्थानान्तरण नीति को पूर्वोत्तर केन्द्रों में कार्याकाल की अवधि के मामले में उपरोक्त में दिए गए के अनुसार संशोधित माना जाए। कार्मिक विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत अनुलग्नक-2 में दिए गए हैं। इन केन्द्रों पर तैनात कर्मचारियों को उपलब्ध अन्य रियायतों का भी इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में वर्णन किया गया है।

APPENDIX XII

TRANSFER POLICY

General

1. Transfer policy and the instructions issued by the Department of Personnel and Training in the matter of transfers, are in the nature of guidelines and are not mandatory. These guidelines have been prescribed for the career development of the officers governed by the transfer policy and in the interest of work.

Tenure

2. For purposes of transfer, various stations and offices of All India Radio have been divided into three categories viz. 'A', 'B' and 'C'. The general principles of transfers and the categorisation of stations/offices are given in Annexure I.

3. The normal tenure at stations/offices categorised as 'A' and 'B' is four years. The tenure at category 'C' stations/offices is two years. Category 'C' stations are known as 'difficult stations' and after completion of tenure at these difficult stations, the officers are entitled to a choice posting. For this purpose, they are required to indicate three stations/offices of their choice, at different stations, in order of preference, for consideration and implementation as far as possible.

4. At CBS Centres, Central Sales Unit and Vividh Bharati, the tenure has been kept as three years. Earlier at these stations/offices, the tenure was four years. However, a Committee which had gone into the functioning of the CBS Centres, recommended that the officers posted at these offices may be transferred after three years. The provisions contained in Annexure I, in the matter of transfers of personnel posted at CBS Centres, stand modified in the matter of tenure from four years to three years. The recommendations of the Committee are reproduced below:

Transfer Liability

5. Practically, all officers of Group 'A' and Group 'B' gazetted posted at stations are governed by all India transfer liability. Group 'C' officers have zonal transfer liability.

Tenure at stations in the North East

6. A substantial number of AIR stations/offices are located in the North-eastern region. For Central Government employees posted in the North-East, separate guidelines have been prescribed by the Department of Personnel and Training, for uniformity in the matter of transfer of Central Government employees working in the region. In these guidelines, two types of tenures have been prescribed: The tenure of officers who have rendered less than 10 years service, has been fixed as three years the tenure of officers with more the 10 years service, has been fixed as two years. AIR employees posted in offices/stations in the North-Eastern region are governed by these guidelines. The transfer policy in Annexure I stands modified in respect of North-Eastern stations in the matter of tenure, which has been indicated above. The guidelines issued by the Department of Personnel are given in Annexure II. The other concessions available to the staff posted at these stations are also given in these guidelines.

पत्नी और पति की एक साथ तैनाती

7. सरकार ने अनुदेश जारी किए हैं कि प्रशासनिक सुविधा और लोकहित को ध्यान में रखते हुए एक ही केन्द्र/कार्यालय पर पत्नी और पति दोनों को एक साथ तैनात करने के प्रयास किए जाएं।

स्थानान्तरण पर जाने वाले कर्मचारियों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और कार्यारंभ काल

आम तौर पर कार्याकाल पूरा करने के पश्चात् ही अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जाता है और वे नियमों के अधीन स्वीकार्य यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और कार्यारंभ काल के हकदार हैं। तथापि कभी-कभी लोकहित में अधिकारियों को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व स्थानान्तरित करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे अधिकारी भी नियमों के अधीन स्वीकार्य यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और कार्यारंभ काल के हकदार हैं।

9. अपवादस्वरूप कुछ मामलों में, अनुकंपा के आधार पर कार्यकाल पूरा करने से पूर्व स्थानान्तरण के अनुरोधों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता/कार्यारंभ काल स्वीकार्य नहीं है।

आकाशवाणी के नए केन्द्र

10. कार्यकाल के उद्देश्य से, आकाशवाणी के नए केन्द्रों को निदेशालय द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के परामर्श से ऐसे केन्द्रों पर तैनात कर्मचारियों के स्थानान्तरण को विनियमित करने के लिए श्रेणीकृत किया जाता है। जब तक कि ऐसे केन्द्र श्रेणीकृत नहीं किए जाते हैं, कार्यकाल अवधि तब तक चार वर्ष की रहती है जब तक कि वे विज्ञापन प्रसारण सेवा केन्द्र, पूर्वोत्तर आदि जैसी उक्त श्रेणियों के अन्तर्गत नहीं आ जाते हैं।

स्थानान्तरण के संबंध में उच्च न्यायालय का विनिर्णय

11. स्थानान्तरण के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के विनिर्णय से उद्धारणों को नीचे उद्घृत किया जाता है: "उच्चतम न्यायालय द्वारा शान्ति कुमार बनाम क्षेत्रीय उपनिदेशक चिकित्सा सेवा, परना प्रभाग, ए आई आर 1981 उच्चतम न्यायालय 157),के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार स्थानान्तरण के मामलों में न्यायालय हस्तषेप नहीं कर सकते हैं और स्थानान्तरण के मामले में सिविल कर्मचारी की शिकायतों पर सरकारी प्राधिकारी द्वारा ही विचार किया जाएगा।"

(प्राधिकार : ज्ञापन सं० ए 11019/7/84- एसी सी ओ आर दिनांक 7.4.1984)

Posting of wife and husband together

7. Government have issued instructions that an effort should be made to post wife and husband together at one station/office, subject to administrative constraints and public interest. These instructions are given in Annexure III.

TA/DA, Joining time to transferrees:

8. Normally officers are transferred only after completion of their tenure and are entitled to TA/DA, joining time as admissible under rules. However, in public interest it sometimes becomes necessary to transfer officers before the completion of their tenure. Such officers are also entitled to TA/DA, joining time as admissible under rules.

9. In exceptional cases, requests for transfer before the completion of tenure on compassionate grounds are considered on merits. In such cases, no TA/DA, joining time is admissible.

New Stations of AIR:

10. For purposes of tenure, all new stations of AIR are categorised by the Directorate in consultation with the Ministry of I&B for regulating transfers of staff posted at such stations. Till such stations are categorised, the tenure is treated as four years, unless they fall in any of the above categories like CBS Centres, North-East etc. where tenure is governed by the general instructions already issued on the subject.

High Court Ruling on Transfers:

11. Reproduced below is an extract from judgment of High Court of Karnataka on the issue of transfers:

"As held by the Supreme Court in Shantikumari Vs. Regional Deputy Director of Health Services, Patna Division, AIR 1981, Supreme Court 1577, it is not open for this Court to interfere in the matter of transfer and that any grievances of a Civil Servant in the Matter of transfer has to be considered by the Government Authority".

(Authority: Memo No. A-11019/9/84-Scor dated 7.4.1984).

अनुलग्नक I

स्थानान्तरण नीति

(देखिए पैरा-2)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय अथवा महानिदेशालय, आकाशवाणी द्वारा इस विषय पर जारी किए गए सभी पूर्व आदेशों के अतिक्रमण में यह निर्णय किया गया है कि अब से, लोक सेवाओं की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए, अकाशवाणी में कार्य कर रहे कार्मिकों का स्थानान्तरण निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे :–

(1) आकाशवणी केन्द्रों/कार्यालयों को परिशिष्ट में इंगित के अनुसार इन केन्द्रों/कार्यालयों पर कार्मिकों की तैनाती अवधि निश्चित करने के उद्देश्य से "क", "ख" और "ग" श्रेणी के रूप में श्रेणीकृत किया जाएगा। समय समय पर सरकार इस श्रेणी करण का पुनरीक्षण कर सकती है।

(2) सामान्यत: "क" और "ख" श्रेणीकृत केन्द्रों/कार्यालयों में कार्यकाल अवधि चार वर्ष तथा "ग" श्रेणीकृत केन्द्रों/कार्यालयों में कार्यकाल अवधि दो वर्ष होगी।

(3) स्थानीय रूप से भर्ती, ग्रुप "घ" कर्मचारी और कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति अथवा/संबंधित कर्मचारी से लिखित अनुरोध प्राप्त होने के अतिरिक्त आमतौर पर स्थानान्तरण नहीं होता है।

(4) "क" और "ख" श्रेणीकृत केन्द्रों पर तैनात अन्य अराजपत्रित कर्मचारियों का नेमी मामले के रूप में चार वर्षों का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने पर स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए।

(5) तथापि आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से अन्यथा के लिए कर्मचारियों को आवश्यक रूप से चार वर्ष (स्थिर) का कार्यकाल समाप्त होने पर स्थानान्तरण कर देना चाहिए।

(6) आमतौर पर केन्द्र निदेशक के रूप में प्रथम नियुक्ति होने पर अधिकारी को पूर्व श्रेणी केन्द्र पर तैनात किया जाएगा। और उसके बाद ही "क" श्रेणी केन्द्र का भार सौंपने पर विचार किया जाएगा।

(7) सहायक केन्द्र निदेशक के रूप में प्रथम पदोन्नति/नियुक्ति पर उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए अनुषंगी केन्द्र पर तैनात नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार के केन्द्र अभियंता को प्रथम पदोन्नति पर ऐसे अनुषंगी केन्द्र पर तैनात नहीं किया जाएगा जहां कि वह केन्द्र का प्रमुख होगा।

(8) कार्यक्रम संवर्ग में निचले स्तर के अधिकारियों को "ख" और "क" दोनों किस्म के केन्द्रों पर कार्य करने का अवसर दिया जाएगा ताकि वह प्रसारण के सभी पहलुओं का अनुभव प्राप्त कर सकें।

(9) जब स्थानान्तरण के प्रश्न पर विचार किया जाता है, तो सामान्य नियम के अनुसार केन्द्र पर सर्वाधिक तैनाति की अवधि वाले व्यक्ति इसके पूर्व चाहे वह किसी भी रैंक पर क्यों न रहा हो को सर्वप्रथम स्थानान्तरित किया जाता है। इस उद्देश्य से स्थानीय रूप से भर्ती कर्मचारी के रूप में उस केन्द्र पर तैनाती की अवधि को, उस केन्द्र पर लगातार बने रहने की अवधि का निर्धारण करते समय शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संस्थापन स्थल पर लगातार सेवा की वास्तविक अवधि को लगातार सेवा अवधि की गणना करते समय घटा दिया जाएगा।

(10) जहां तक भी सम्भव होगा, प्रत्येक कर्मचारी को उसकी सेवा अवधि के दौरान कम से कम एक बार "ग" श्रेणी के केन्द्र पर तैनात किया जाएगा।

(11) जिन व्यक्तियों ने पहले ही "ग" श्रेणी के केन्द्र पर तैनाती की कुछ अवधि पूरी कर ली है उन्हें ऐसे केन्द्र पर दूसरी बार तैनात करने के लिए विचार नहीं किया यदि उसी ग्रेड में अभी भी तैनात करने के लिए कर्मचारी बकाया है। तथापि उन्हें पुन: पदोन्नति पर तैनात किया जा सकता है।

ANNEXURE I

TRANSFER POLICY

(See paragraph 2)

In supersession of all previous orders issued on the subject either by the Ministry of Information and Broadcasting or by the Directorate General, All India Radio, it has been decided that subject to exigencies of Public Service, the transfers of personnel employed in All India Radio should henceforth be regulated by the following principles:-

i) The Stations/Offices of All India Radio will be categorised in to 'A' and 'B' and 'C' categories, as indicated in the Appendix for the purpose of fixation of tenure of Personnel at these stations/Offices. This categorisation may be reviewed by the Govt. from time to time.

ii) The normal tenure at stations/offices categoried as 'A' and 'B' will be four years and at stations/offices categorised as 'C' will be two years.

iii) Locally recruited, members of staff of Group 'D' and other low paid employees would normally not be transferred except on promotion or on receipt of a written request from the employees in question.

iv) Transfer of the other non-gazetted staff posted at category 'A' and 'B' stations may not be made as a matter of routine after expiry of the normal tenure of four years.

v) The tenure of mainland recruits of AIR, Port Blair, will, however, be invariably four years (fixed) on completion of which they shall be transferred.

vi) Normally on first appointment as a Station Director, an officer will be posted at a 'B' Station before being considered for holding charge at an 'A' station.

vii) An Assistant Station Director on his first promotion/appointment, will not be posted to an auxiliary centre where he has to work independentally. Likewise, a Station Engineer on his first promotion will not be posted to an Auxiliary Centre where he will be head of the Station.

viii) At lower levels in the Programme Cadre, Officers will normally be given an opportunity to serve at both 'B' and 'A' stations, to enable them to gain experience of all aspects of broadcasting.

ix) when the question of transfer is considered, as a normal rule, a person with the longest continuous stay at the station, irrespective of the rank(s) held by him earlier, should ordinarily be transferred first. For this purpose, the service rendered at a Station as a Local recruit will not be taken in to consideration for determining the length of continuous stay at that station. Also, the actual period of continuous service at the site(s) of installation(s) will be excluded for computation of continuous stay provided the period of stay at the installation is more than ninety days in a calender year.

x) As far as possible, every employees will be posted to a category 'C' station at least once during his service.

xi) Persons who already had a spell of posting at a 'c' station would not be posted to such a station a second time if there are candidates in the same grade who are still to be posted such a station. They may, however, be posted again on promotion.

(12) आम तौर पर 45 वर्ष की आयु से अधिक वाले व्यक्तियों को अधिक ऊंचाई वाले केन्द्र पर तैनात नहीं किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए अधिक ऊंचाई का अर्थ समुद्र तल से 2250 मीटर तक अधिक ऊंचाई पर स्थित केन्द्र से है।

(13) कार्य काल की अवधि पूरी करने की तारीख का निर्धारण करने के उद्देश्य से, श्रेणी "ग" केन्द्र में उस अधिकारी द्वारा तैनाती के पश्चात् ली गई प्रत्येक किस्म की छुट्टी की अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा, परन्तु उस केन्द्र पर तैनाती के दौरान अर्जित की गई "अर्जित छुट्टी" के बराबर ली गई छुट्टी को शामिल किया जाएगा।

(14) मुख्य केन्द्रों के अध्यक्ष को जिन्हें भर्ती का अधिकार प्राप्त है, "ग" श्रेणी केन्द्र पर तैनात प्रसार कार्यकलापों की स्थिति को, केन्द्र पर कार्यकाल की अवधि पूरी कर लेने से काफी पहले स्थिति की समीक्षा कर लेनी चाहिए तथा संबंधित व्यक्तियों से तरजीह प्राप्त कर लेने के पश्चात् उन व्यक्तियों के अन्य केन्द्रों पर स्थानान्तरण के संबंध में निदेशालय को प्रस्ताव भेजने चाहिए।

(15) निदेशालय में क्षेत्रीय कार्यालयों/अनुभागों को प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में ऐसे लोगों की सूची तैयार कर लेनी चाहिए जिनका "ग" श्रेणी केन्द्र पर कार्यकाल उस वर्ष के दौरान पूरा होने वाला है। वास्तविक तैनाती अवधि पूरी होने से काफी पहले उनके स्थान पर तैनात के प्रस्ताव तैयार किए जाएं।

(16) किसी केन्द्र पर तैनाती की सामान्य अवधि समाप्त होने से छः महीने पूर्व, एक कर्मचारी अपनी इच्छा के तीन विभिन्न केन्द्रों के नाम भेज सकता है जहाँ कि वह तैनात होने को प्राथमिकता देता है और उसी अगली तैनाती का निर्णय करने से पूर्व इस प्रकार की इच्छा पर विचार करना चाहिए।

(17) यदि कोई अधिकारी स्वयं ही श्रेणी "ग" केन्द्र पर तैनाती की पेशकश करता है तो पेशकश के बारे में एक यथोचित टिप्पणी तैयार की जाएगी और जहाँ तक सम्भव होगा ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाएगा।

(18) यदि श्रेणी "ग" केन्द्र पर तैनात कोई अधिकारी उस केन्द्र पर बने रहने की इच्छा व्यक्त करता है चाहे उसने अपनी सामान्य कार्यकाल पूरा कर लिया हो, उसे उस केन्द्र से तब तक स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा जब तक कि कार्यकाल से अथवा कोई कारण उसे केन्द्र से उसके स्थानान्तरण के लिए न्यायसंगत न हो।

(19) श्रेणी "ग" केन्द्र पर कार्यरत कर्मचारी के श्रेणी "क" अथवा "ख" केन्द्र पर तैनाती/स्थानान्तरण आदेश, श्रेणी "ग" पर कार्यकाल पूरा कर लेने के पश्चात् कार्यकाल पूरा होने से कम से कम एक महीने पहले जारी कर देने चाहिए।

(20) तैनाती के मामले में, ऐसे अधिकारी को उसके विशिष्ट केन्द्र पर तैनात करने में उस व्यक्ति से प्राथमिकता दी जाएगी जिसने उस केन्द्र पर अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया है।

(21) ऐसे कर्मचारी जोकि तीन वर्षों में अधिवार्षिता की आयु को प्राप्त करने वाले हैं, वो यदि अपने गृह नगर मैं तैनात हैं, स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा। यदि उन्हें किसी अन्य स्थान पर तैनात करने की आवश्यकता पड़ती है तो, जहाँ तक भी सम्भव होगा, उन्हें गृह नगर के अथवा गृह नगर के निकट तैनात करने के प्रयास किए जाएंगे।

(22) भारत अथवा विदश में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त और जोकि अनुसंधान कार्य करने में लग्नशील पाए जाते हैं, कर्मचारियों का स्थानान्तरण यहां पर दिए गए मार्गदर्शी/प्रतिभा का पूर्णरूपेण इस्तेमाल करने को, ध्यान में रखकर किया जाएगा।

(23) मान्यता प्राप्त एसोशिएशन/संघ/महासंघ की केन्द्रीय निकास के प्रमुख कार्यपालक को, जैसाकि उस एसोसिएशन/संघ/महासंघ के संविधान में परिभाषित किया गया है अथवा जहां कि ऐसे एसोसिएशन/संघ/महासंघ के संविधान में प्रमुख कार्यपालक की परिभाषा नहीं दी गई है तो ऐसे एसोसिएशन/संघ/महासंघ के महासचिव को, यदि वह दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर के केन्द्र/कार्यालय में तैनात है, तो उसे नई दिल्ली/दिल्ली स्थित केन्द्र/कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाएगा। यदि, तथापि, वह पहले से ही दिल्ली/नई दिल्ली से किसी केन्द्र/कार्यालय में तैनात है, तो उसे तब तक स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा जब तक कि दिल्ली/नई दिल्ली में बने रहने के पद को धारण किए रहता है।

(24) जहां तक भी सम्भव होगा और यदि वे चाहे तो, आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत पत्नी और पति को एक ही स्थान पर तैनात किया जाए।

xii) Persons over the age of 45 years shall not be ordinarily posted to a station of high altitude, which term for the purpose will mean a station located at an altitude, of 2250 metres or more above the sea level.

xiii) For the purpose of determining the date of completion of his tenure, all kinds of leave availed of by an officer after posting to a category 'C' Station will be excluded except the leave availed of by him, during his such posting, upto the extent of 'Earned Leave' earned by him at that station.

xiv) The head of the main station authorised to make recruitment may review the position of Transmission Executives posted at Category 'C' station well before completion of tenure at the station and forward proposals to the Directorate regarding transfers of those persons to other stations after ascertaining the preference of the persons concerned.

xv) Regional Offices/Sections concerned in the Dte. should, at the commencement of a year, prepare a list of those whose tenure at Category 'C' Stations is due to be completed during that year. Proposals to post substitute in their places would be formulated well ahead of the actual completion of tenure. Those who are due for promotion and who have not done a term of posting at any Category 'C' station would be posted to a Category 'C' station on promotion.

xvi) Six months before expiry of normal tenure of posting at a station, an employee may indicate his choice of minimum of three different stations where he would like to be preferably posted and such option may be taken into consideration before his next posting is decided.

xvii) If an official offers himself for posting at any of the category 'C' Stations, a suitable note will be made of the offer and, to the extent possible, such an offer would be accepted.

xviii) In case an official posted at a category 'C' station is willing to continue at that station not with standing completion of his normal tenure there, he may not be transferred from that station, unless the conditions other than the tenure justify his transfer from that station.

xix) Posting/transfer orders of an employee who is serving at a category 'C' station to a category 'A' or 'B' station on completion of his tenure at a category 'C' Station shall be issued at least one month before the completion of his tenure.

xx) In the matter of posting, officials who have not already been posted at a particular station, shall have precedence over others who had already had full tenure at that station.

xxi) Member of staff, who are within three years of reaching the age of superannuation, will, if posted at their home town, not be shifted therefrom, if it becomes necessary to post them elsewhere, efforts will be made to shift them to or near their home towns to the extent possible.

xxii) The transfers of members meners of staff who have been given specialised training whether in India or abroad, and those who are found to have aptitude for research work, will be guided by consideration of full utilising their training/talents then by any other consideration herein.

xxiii) Only the Chief Executive of the Central Body of recognised Association/Union/Federation as defined in the constitution of that Association/Union/Federation, or where the Chief Executive has not been specifically defined in the constitution of such an Association/Union/Federation the General Secretary thereof may, if he is posted at a station/office outside Delhi/New Delhi, be brought on transfer to a Station/Office at Delhi/New Delhi. In case, however, he is already posted at a Station/office at Delhi/New Delhi, he will not be tranferred to a station/office outside Delhi/New Delhi so long as he continues to hold the office by virtue of which he is entitled to be retained at Delhi/New Delhi.

xxiv) Efforts will be made to the extent possible to see that husband and wife serving in All India Radio and Doordarshan are posted at one place, if they so desire.

(25) स्थानान्तरण, जहाँ तक भी सम्भव हो, समाप्त होने पर ही किए जाएँ ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो।

(26) प्रत्येक कर्मचारी के लिए निदेशालय अथवा क्षेत्रीय आँचलिक अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, एक सूचककार्ड बनाया जाएगा। इस सूचक कार्ड में कर्मचारी के पिछली तैनाती/स्थानान्तरण का अभिलेख रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त अगली तैनाती के लिए उसके द्वारा वांछित केन्द्रों का नाम भी दर्ज किया जाएगा और प्रत्येक स्थानांतरण/तैनाती से पूर्व उससे पूछा जाएगा।

2. स्थानान्तरण नीति, जैसा कि ऊपर वर्णित की गई, को यथा सम्भव के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। यदि किसी अपवाद की आवश्यकता पड़े तो निदेशालय में उच्चतम स्तर पर उनका अनुमोदन करवा लेना चाहिए।

xxv) Transfer will, as far as possible be synchronised with the end of the academic year so that the education of children does not suffer.

xxvi) An index card for each employees may be maintained. At Directorate or Regional Zonal Officer as the case may be. This index card will contain the record of the employee's previous postings/tranfers as also his latest choice of stations of next posting and would be consulted before every transfer/posting.

2. Transfer policy, as enunciated above, should be implemented as objectively as possible. If any exception is required to be made, it should be got approved at the highest leavel in Directorate.

परिशिष्ट

"क", "ख" और "ग" के रूप में श्रेणीकृत केन्द्रों/कार्यालयों और दूरदर्शन केन्द्रों आदि के नामों को दर्शाने वाली सूची

श्रेणी "क"		श्रेणी "ख"		श्रेणी "ग"	
क्रम संख्या	केन्द्र	क्रम संख्या	केन्द्र	क्रम सं०	केन्द्र
1.	अहमदाबाद	1.	अजमेर	1.	ऐंजल
2.	बंगलौर	2.	इलाहाबाद	2.	अगरतला
3.	भोपाल	3.	औरंगाबाद	3.	डिब्रुगढ़
4.	कलकत्ता	4.	बड़ोदरा	4.	इम्फाल
5.	बम्बई	5.	भद्रावती	5.	कोहिमा
6.	कटक	6.	भागलपुर	6.	लेह
7.	दिल्ली	7.	भुज	7.	पासीघाट
8.	गुवाहटी	8.	बीकानेर	8.	तवांग
9.	हैदराबाद	9.	कालीकट	9.	तेजु
10.	इंदौर	10.	कोयम्बटूर	10.	अम्बिकापुर
11.	जयपुर	11.	कुडप्पा	11.	छत्तरपुर
12.	जालन्धर	12.	दरभंगा	12.	जगदपुर
13.	लखनऊ	13.	धारवाड़	13.	जैपुर
14.	मद्रास	14.	गुलबर्ग	14.	सिलचर
15.	पुणे	15.	ग्वालियर	15.	सूरतगढ़
16.	पणजी (गोवा)	16.	जबलपुर	16.	गैंगटाक
17.	पटना	17.	जलगांव		
18.	शिलांग	18.	जम्मू		
19.	त्रिवेन्द्रम	19.	जोधपुर		
20.	श्री-नगर	20.	कर्सियांग		
		21.	मंगलौर		
विज्ञापन प्रसारण सेवा		22.	मथुरा		
21.	अहमदाबाद	23.	मैसूर		
22.	बंगलौर	24.	नागपुर		
23.	भोपाल	25.	नज़ीबाँबाद		
24.	बम्बई	26.	परमणी		
25.	कलकत्ता	27.	पांडिचेरी		
26.	कटक	28.	पोर्टब्लेयर		
27.	दिल्ली	29.	रायपुर		
28.	हैदराबाद	30.	राजकोट		
29.	जयपुर	31.	रामपुर		
30.	मद्रास	32.	रांची		
31.	पटना	33.	रत्नागिरी		
32.	श्रीनगर	34.	रोहतक		
33.	त्रिवेन्द्रम	35.	सम्बलपुर		
		36.	सांगली		
केन्द्रीय बिक्री एकांश		37.	सिलीगुड़ी		
34.	बम्बई	38.	शिमला		

APPENDIX

LIST SHOWING THE NAMES OF STATIONS/OFFICES AND DOORDARSHAN KENDRAS ETC. CATEGORISED AS 'A' 'B' & 'C'

Category 'A'		Category 'B'		Category 'C'	
Sl. No.	Station	Sl. No.	Station	Sl. No.	Station
1.	Ahmedabad	1.	Ajmer	1.	Aizwal
2.	Bangalore	2.	Allahabad	2.	Agartala
3.	Bhopal	3.	Aurangabad	3.	Dibrugarh
4.	Calcutta	4.	Baroda	4.	Imphal
5.	Bombay	5.	Bhadravati	5.	Kohima
6.	Cuttack	6.	Bhagalpur	6.	Leh
7.	Delhi	7.	Bhuj	7.	Passighat
8.	Gauhati	8.	Bikaner	8.	Tawang
9.	Hyderabad	9.	Calicut	9.	Tezu
10.	Indore	10.	Coimbatore	10.	Ambikapur
11.	Jaipur	11.	Cuddapah	11.	Chattarpur
12.	Jullundur	12.	Darbhanga	12.	Jagdalpur
13.	Lucknow	13.	Dharwad	13.	Jeypore
14.	Madras	14.	Gulbarga	14.	Silchar
15.	Pune	15.	Gwalior	15.	Suratgarh
16.	Panaji(Goa)	16.	Jabalpur	16.	Gangtok
17.	Patna	17.	Jalgaon		
18.	Shillong	18.	Jammu		
19.	Trivandrum	19.	Jodhpur		
20.	Srinagar	20.	Kurseong		
Commercial Broadcasting Service		21.	Mangalore		
21.	Ahmedabad	22.	Mathura		
22.	Bangalore	23.	Mysore		
23.	Bhopal	24.	Nagapur		
24.	Bombay	25.	Nazibabad		
25.	Calcutta	26.	Parbhani		
26.	Cuttack	27.	Pondicherry		
27.	Delhi	28.	Port Blair		
28.	Hyderabad	29.	Raipur		
29.	Jaipur	30.	Rajkot		
30.	Madras	31.	Rampur		
31.	Patna	32.	Ranchi		
32.	Srinagar	33.	Ratnagiri		
33.	Trivandrum	34.	Rohtak		
Central Sales Unit		35.	Sambalpur		
		36.	Sangli		
34.	Bombay	37.	Siliguri		
		38.	Simla		

उच्च शक्ति प्रेषित

35. अलीगढ़
36. बम्बई
37. चिंसुरा
38. गोरखपुर
39. जोधपुर
40. खामपुर
41. किंग्जवे
42. मद्रास
43. नांगली
44. राजकोट

क्षेत्रीय इंजीनियर

45. क्षेत्रीय अभियंता (पूर्व)
46. क्षेत्रीय अभियंता (दक्षिण)
47. क्षेत्रीय अभियंता (उत्तर)
48. क्षेत्रीय अभियंता (पश्चिप)

आकाशवाणी के अन्य कार्यालय

49. केन्द्रीय भंडार
50. सिविल निर्माण स्कन्ध
51. विदेश सेवा प्रभाग
52. प्रत्यंकन व कार्यक्रम विनियम सेवा नई दिल्ली
53. समाचार सेवा प्रभाग
54. अनुसंधान अभियंता का कार्यालय, नई दिल्ली
55. उप महानिदेशक (पूर्व) का कार्यालय, कलकत्ता
56. उप महानिदेशक (पश्चिम) का कार्यालय, बम्बई
57. उप महानिदेशक (उत्तर पूर्व) का कार्यालय, गौहाटी
58. सामुयिक श्रवण योजना, श्रीनगर।
59. मानीटरिंग सेवा, नई दिल्ली
39. त्रिचुर
40. तिरूचिरापली
41. तिरुनेलवेली
42. उदयपुर
43. वाराणसी
44. विशाखापत्तनम
45. विजयवाड़ा
46. रीवा

विज्ञापन प्रसारण सेवा

47. चन्डीगढ़
48. कानपुर

उच्च शक्ति

49. अलैप्पी

(प्राधिकार : 11019/22/81-स्कार दिनांक 4/7-8-81 सूचना और प्रसारण मंत्रालय 310 (78)75-बी (डी) खंड 3.

High Power Transmitter

35. Aligarh
36. Bombay
37. Chinsurah
38. Gorakhpur
39. Jodhpur
40. Khampur
41. Kingsway
42. Madras
43. Nangli
44. Rajkot

Regional Engineers

45. Chief Engineer (E)
46. Chief Engineer (S)
47. Chief Engineer (N)
48. Chief Engineer (W)

Other offices of AIR

49. Central Stores
50. Civil Construction Wing
51. External Services Division
52. DT&PES New Delhi
53. News Services Division
54. Office of Research Engineer, New Delhi
55. Office of Dy. Director General (ER) Calcutta
56. Office of Dy. Director General (WR) Bombay
57. Office of Dy. Director General (NE) Gauhati
58. C.L.S. Srinagar
59. M.S., New Delhi.

39. Trichur
40. Tiruchirapalli
41. Tirunelvelli
42. Udaipur
43. Varanasi
44. Visakhapatnam
45. Vijayawada
46. Rewa

Commercial Broadcasting Service

47. Chandigarh
48. Kanpur

High Power Transmitters

49. Alleppey

(Authority: 11019(22)/81-Scor dated 4/7.8.81—Ministry of I&B 310(78) 75-B (D) Vol. III)

अनुलग्नक-II

(देखिए पैरा 6)

पूर्वोतर क्षेत्र के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के कार्यकाल, भत्ते और सुविधाएँ-उनमें सुधार

असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों तथा अरूणांचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों को मिलाकर बनने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सेवा के लिए सक्षम अधिकारियों को आकर्षित करने तथा इस क्षेत्र में उनकी सेवाएं बरकरार रखने के लिए सरकार पिछले कुछ समय से विचार कर रही है। इस क्षेत्र में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के विद्यमान भत्तों तथा स्वीकार्य सुविधाओं की पुनरीक्षा करने तथा उनमें यथोचित सुधार करने तथा सुझाव देने के लिए सरकार कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है। सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। राष्ट्रपति जी ने सहर्ष निम्न के अनुसार निर्णय किया है :–

(1) तैनाती/प्रतिनियुक्ति कार्यकाल

दस वर्ष अथवा कम की सेवा वाले अधिकारियों की तैनाती का कार्यकाल तीन वर्ष निश्चित किया गया है और 10 वर्षों से अधिक की सेवा वाले अधिकारियों का कार्यकाल दो वर्ष निश्चित किया गया है। *2/3* वर्षों के कार्यकाल अवधि की गणना करते समय छुट्टी प्रशिक्षण आदि की अवधि, जोकि प्रतिवर्ष 15 दिन की दर से अधिक होगी, को घटा दिया जाएगा। उपरोक्त वर्णित निश्चित कार्यकाल की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् अधिकारियों को जहां तक भी संभव हो, उनके द्वारा इच्छित स्थान पर तैनात करने पर विचार किया जाए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि आमतौर पर तीन वर्ष होगी जिसे लोक सेवा की आवश्यकताओं तथा जब संबंधित कर्मचारी रुकने के लिए तैयार हो तो अपवादात्मक मामलों में इस अवधि में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार से बढ़ायी गई प्रतिनियुक्ति की अवधि में भी स्वीकार्य प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलता रहेगा।

(2) केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति/विदेशों में प्रशिक्षण और गोपनीय रिपोर्ट में विशेष उल्लेख के लिए तरजीह

निम्नलिखित मामलों में पात्र अधिकारियों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्धारित कार्यकाल के दौरान संतोषजनक ढंग से किए गए कार्य निष्पादन का लाभ दिया जाएगा :

(क) संवर्ग पद में पदोन्नति,

(ख) केन्द्रीय पदावधि पदों पर प्रतिनियुक्ति और

(ग) विदेश में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रशंसनीय सेवा वाले योग्य मामलों में दो केन्द्रीय पदावधि नियुक्तियों के बीच काडर पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा की सामान्य आवश्यकता में भी छूट देकर दो वर्ष की सेवा की जा सकती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्ण कार्यकाल की सेवा पूरी करने वाले सभी कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट में इस आशय की विशिष्ट प्रविष्टि की जानी चाहिए।

ANNEXURE II

(See paragraph 6)

TENURE, ALLOWANCES AND FACILITIES FOR CIVILIAN EMPLOYEES OF THE CENTRAL GOVERNMENT SERVING IN THE STATES AND UNION TERRITORIES OF NORTH EASTERN REGION—IMPROVEMENT THEREOF:

The need for attracting and retaining the services of competent officers for service in the North-Eastern Region comprising the States of Assam, Meghalays, Manipur, Nagaland and Tripura and the Union Territories of Arunachal Pradesh and Mizoram has been engaging the attention of the Govt. for some time. The Government had appointed a Committee under the Chairmanship of Secretary, Department of Personnel and Administrative Reforms, to review the existing allowances and facilities admissible to the various categories of civilian Central Govt. Employees serving in this region and to suggest suitable improvements. The recommendations of the Committee have been carefully considered by the Govt. and the President is now pleased to decide as follows:-

i) Tenure of posting/deputation

There will be a fixed tenure of posting of 3 years at a time for officers with service of 10 years or less and 2 years at a time for officers with more than 10 years of service. Periods of leave, training etc. in excess of 15 days per year will be excluded in counting the tenure period of 2/3 years. Officers, on completion of the fixed tenure of service mentioned above, may be considered for posting to a *station of their choice as far as possible.*

The period of deputation of the Central Govt. employees to the States/Union Territories of the North-Eastern Region will generally be for 3 years which can be extended in exceptional cases in exigencies of public service as well as when the employee concerned is prepared to stay longer. The admissible deputation allowance will also continue to be paid during the period of deputation so extended.

ii) Weightage for Central deputation/training abroad and Special mention in Confidential Reports.

Satisfactory performance of duties for the prescribed tenure in the North-East shall be given due recognition in the case of eligible officers in the matter of—

a) promotion in cadre posts;

b) deputation to Central tenure posts; and

c) courses of training abroad.

The general requirement of at least three years service in a cadre post between two Central tenure deputations may also be relaxed to two years in deserving cases of meritorious service in the North-East.

A specific entry shall be made in the C.R. of all employees who rendered a full tenure of service in the North-Eastern Region to that effect.

(3) विशेष (कार्य) भत्ता

पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी भी केन्द्र पर तैनात होने वाले अखिल भारतीय स्थानान्तरण दायिता वाले केन्द्रीय सरकारी सिविलियन कर्मचारी मूल वेतन के 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम 400/- रु० प्रति मास, विशेष (कार्य) भत्ता दिया जाएगा। तथापि, ऐसे कर्मचारी जिन्हें कि आयकर की अदायगी से छूट दी गई है इस विशेष (कार्य) भत्ता पाने के हकदार नहीं है। विशेष (कार्य) भत्ता, पहले से लिए जा रहे किसी विशेष वेतन और/अथवा प्रतिनियुक्ति (कार्य) भत्ता के अतिरिक्त होगा। परन्तु यह शर्त है कि विशेष (कार्य) भत्ता और विशेष वेतन/प्रतिनियुक्ति (कार्य) भत्ता कुल मिलाकर 400/- रु० प्रति मास से अधिक नहीं होना चाहिए। विशेष प्रतिपूरक (दूरदराज स्थल) भत्ता, निर्माण भत्ता और परियोजना भत्ता जैसा विशेष भत्ता अलग से दिया जा सकता है।

(4) विशेष प्रतिपूरक भत्ता

1. **असम और मेघालय**

   वेतन सीमा के बिना सभी कर्मचारियों को मूल वेतन के 5 प्रतिशत की दर से परन्तु अधिकतम 50 रुपए प्रति मास, यह भत्ता दिया जाएगा। असम के मामले में यह भत्ता 1.7.1982 से मिलना प्रभावी होगा।

2. **मणिपुर**

   पूरे मणिपुर के लिए निम्नलिखित की दर से भत्ता दिया जाएगा:-

वेतन 260 रुपये तक —40 रु० प्रति मास	
260 रुपये से अधिक का वेतन	मूल वेतन का 15 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 150 रु० प्रति मास

3. **त्रिपुरा**

   भत्ते की दर निम्न के अनुसार होगी:

   (क) दुर्गम क्षेत्र— वेतन का 25 प्रतिशत परन्तु न्यूनतम 50 रु० तथा अधिकतम 150 रु० प्रति मास

   (ख) अन्य क्षेत्र

वेतन 260 रु० तक	-40 रु० प्रति मास
260 रुपए से अधिक वेतन पर -	मूल वेतन का 15 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 150 रु० प्रति मास

   वर्तमान में अरूणांचल प्रदेश, नागालैण्ड और मिजोरम के लिए मिलने वाले विशेष प्रतिपूरक भत्ते की दरों और मिजोरम के विशिष्ट क्षेत्रों में विद्यमान में उपलब्ध गड़बड़ भत्ते की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(5) प्रथम नियुक्ति पर यात्रा भत्ता

वर्तमान नियम (एस आर 105), प्रथम नियुक्ति पर पद धारण करने के लिए की जाने वाली यात्रा पर यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं है इसमें छूट देते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रथम नियुक्ति पर पद धारण करने की जाने वाली यात्रा पर पहले 400 कि०मी० से अधिक की सड़क/रेल यात्रा के लिए का सामान्य बस किराए/द्वितीय श्रेणी का रेल किराये के बराबर स्वयं तथा परिवार के लिये यात्रा भत्ता मिलेगा 400 कि०मी० से कम का किराया सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

iii) Special (Duty) Allowance

Central Government civilian employees who have All India transfer liability will be granted a Special (Duty) Allowance at the rate of 25 per cent of basic pay subject to a ceiling of Rs. 400/- per month on posting to any station in the North-Eastern Region. Such of those employees who are exempt from payment of income tax will, however, not be eligible for this Special (Duty) Allowance, Special (Duty). Allowances will be in addition to any special pay and/or Deputation (Duty), Allowance already being drawn subject to the condition that the total of such Special (Duty) Allowances plus special pay/Deputation (Duty) Allowance will not exceed Rs. 400/- p.m. Special Allowance like Special Compensatory (Remote Locality) Allowance, Construction Allowance and Project Allowance will be drawn separately.

iv) Special Compensatory Allowance:

1. Assam & Meghalaya

The rate of the allowance will be 5% of basic pay subject to a maximum of Rs. 50 p.m. admissible to all employees without any pay limit. The above allowance will be admissible with effect from 1.7.1982 in the case of Assam.

2. Manipur

The rates of the allowance will be as follows for the whole of Manipur:—

Pay upto Rs. 260	Rs. 40/- p.m.
Pay above Rs. 260	15% of basic pay subject to a maximum of Rs. 150/- p.m.

3. Tripura

The rates of the allowance will be as follows:-

a) Difficult Areas	25% of pay subject to a minimum of Rs. 50 and a maximum of Rs. 150 p.m.
b) Other Areas	
Pay upto Rs. 260	Rs. 40/- p.m.
Pay above Rs. 260	15% of basic pay subject to a maximum of Rs. 150/- p.m.

There will be no change in the existing rates of Special Compensatory Allowances admissible in Arunachal Pradesh, Nagaland and Mizoram and the existing rate of Disturbance Allowance admissible in specified areas of Mizoram.

v) Travelling Allowance on first appointment

In relaxation of the present rule (S.R. 105) that travelling allowance is not admissible for journeys undertaken in connection with initial appointment, in case of journeys for taking up initial appointment to a post in the north-Eastern Region, travelling allowance limited to ordinary bus fare/second class rail fare for road/rail journeys in excess of first 400 kms. for the Government servant himself and his family will be admissible.

(6) स्थानान्तरण पर यात्रा के लिए भत्ता

एस आर 116 के नीचे आदेश में छूट देते हुए, यदि पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थानान्तरण पर केन्द्रीय कर्मचारी का परिवार उसके साथ नहीं जाता है तो केन्द्रीय कर्मचारी को पद ग्रहण की अवधि को ही स्वयं के लिए दौरे पर उपलब्ध यात्रा भत्ता अदा किया जाएगा। सामान के परिवहन की कीमत के बदले में सरकारी खर्च पर अपनी हकदारिता के हिसाब से एक तिहाई सामान ले जाने अथवा वास्तव में ले गये सामान पर किये गये खर्च तथा हकदारिता में अन्तर अथवा सामान ले जाने के लिए उसकी हकदारिता का तिहाई नकदी में, जैसा भी मामला हो, भरपाई की जाएगी। सरकारी कर्मचारी के साथ स्थानान्तरण पर परिवार के साथ जाने के मामले में विद्यमान स्वीकार्य यात्रा भत्ता हकदारिता बनी रहेगी जिसमें अधिकारी के ग्रेड के अनुसार ले जाने वाले सामान के परिवहन की लागत, वास्तव में ले गये सामान के भार का ध्यान रखे बिना, की भी भरपाई की जाएगी। उपरोक्त प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुन: स्थानान्तरण पर वापसी यात्रा के लिए भी लागू होगा।

(7) स्थानान्तरण पर सामान ले जाने पर सड़क भत्ता

एस आर 116 के नीचे आदेशों में छूट देते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में दो विभिन्न केन्द्रों पर स्थानान्तरण के दौरान सामान ले जाने के लिए "क" वर्ग के शहरों में सामान ले जाने के लिए स्वीकार्य उच्च पद पर, वास्तव में सरकारी कर्मचारी द्वारा खर्च की गई राशि, की भरपाई की जाएगी।

(8) छुट्टी सहित कार्यारंभ काल

पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनाती स्थल से छुट्टी पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में, उस क्षेत्र से बाहर तैनाती के केन्द्र से दो दिन से अधिक की यात्रा की अवधि को कार्यारंभ काल माना जाए। छुट्टी से वापसी पर भी इस किस्म की रियायत दी जाएगी।

(9) छुट्टी यात्रा रियायत

वह सरकारी कर्मचारी, जोकि पुराने ड्यूटी केन्द्र पर अथवा किसी चुने हुए रिहायशी स्थान पर अपने परिवार को छोड़ आता है और परिवार के लिए स्थानान्तरण यात्रा भत्ता नहीं लेता है तो उसके पास यह विकल्प होगा कि वह दो वर्षों में एक बार गृह नगर की यात्रा करने के लिए विद्यमान छुट्टी यात्रा रियायत ले सकता है अथवा इसके एवज में स्वयं के लिए पूर्वोत्तर में तैनाती केन्द्र से अपने गृह नगर अथवा जहां कि उसका परिवार रहता है वहां तक यात्रा की सुविधा ले सकता है। इसके अतिरिक्त वह अपने परिवार के लिए (केवल दो आश्रित बच्चे तथा पत्नी अथवा पति) पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनाती केन्द्र तक उसे मिलने के लिए वर्ष में एक बार यात्रा की सुविधा ले सकता है। वर्ष में एक बार की सुविधा की इच्छा व्यक्त करने पर प्रारम्भिक दूरी 400 कि.मी./160 कि.मी.) की यात्रा का खर्च अधिकारी द्वारा वहन नहीं किया जाएगा।

2250 रुपये अथवा अधिक का वेतन पाने वाले अधिकारी और उनका परिवार अथवा पत्नी/पति और दो आश्रित बच्चों (पुत्रों के मामले में 18 वर्ष और पुत्रियों के मामले में 24 वर्ष) के लिए पूर्ववर्ती पैराग्राफों में वर्णित यात्रा करने के लिए इम्फाल/सिल्चर/अगरतला और कलकत्ता के लिए तथा वापसी के लिए विमान द्वारा यात्रा की अनुमति होगी।

(10) संतान शिक्षा भत्ता/होस्टल के लिए आर्थिक सहायता

जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी के साथ बच्चे साथ नहीं जाते हैं तो संबंधित कर्मचारी के अन्तिम तैनाती स्टेशन अथवा वह स्टेशन जहां कि बच्चे रहते हों, पर पढ़ रहे बच्चों के लिए चाहे सरकारी कर्मचारी कितना भी वेतन क्यों न ले रहा हो, संतान शिक्षा भत्ता मिलेगा। यदि पढ़ने वाले बच्चों को अन्तिम तैनाती स्टेशन अथवा किसी अन्य स्टेशन पर होस्टल में डाल दिया जाता है तो संबंधित सरकारी कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के लिए होस्टल के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।

vi) Travelling Allowance for Journey on transfer

In relaxation of orders below S.R. 116, if on tranfer to station in the North-Eastern region, the family of the Government servant does not accompany him, the Government servant will be paid travelling allowance on tour for self only for transit period to join the post and will be permitted to carry personal effects upto 1/3 of his entitlement at Government cost or have a cash equivalent of carrying 1/3rd of his entitlement or the difference in weight of the personal effects he is actually carrying and 1/3rd of his entitlement as the case may be, in lieu of the cost of transportation of baggage. In case the family accompanies the Govt. servant on transfer, the Govt. servant will be entitled to the existing admissible travelling allowance including the cost of transportation of the admissible weight of personal effects according to the grade to which the officer belongs, irrespective of the weight of the baggage actually carried. The above provisions will also apply for the return journey on transfer back from the North-Eastern Region.

vii) Road milage for transportation of personal effects on transfer

In relaxation of orders below S.R. 116, for transportation of personal effects on transfer between two different stations in the North-Eastern region, higher rate of allowance admissible for transportation in 'A' class cities subject to the actual expenditure incurred by the Govt. servant will be admissible.

viii) Joining time with leave

In case of Government servants proceeding on leave from a place of posting in North-Eastern region, the period of travel in excess of two days from the station of posting outside that region will be treated as joining time. The same concession will be admissible on return from leave.

ix) Leave Travel Concession

A Government servant who leaves his family behind at the old duty station or another selected place of residence and has not availed of the transfer travelling allowance for the family will have the option to avail of the existing leave travel concession of journey to home-town once in a block period of two years, or in lieu thereof, facility of travel for himself once a year from the station of posting in the North-East to his home-town or place where the family is residing and in addition the facility for the family (restricted to his/her spouse and two dependent children only) also to travel once a year to visit the employee at the station of posting in the North-Eastern Region. In case the option is for the later alternative the cost of travel for the initial distance (400 kms./160 kms.) will not be borne by the officer.

Officers drawing pay of Rs. 2250/- or above and their families i.e. spouse and two dependentt children (upto 18 years for boys and 24 years for girls) will be allowed air travel between Imphal/Silchar/Agartala and Calcutta and vice versa, while performing journeys mentioned in the preceding paragraph.

x) Children Education Allowance/Hostel Subsidy

Where the children do not accompany the Govt. servant to the North-Eastern Region, Children Education Allowance upto Class XII will be admissible in respect of children styding at the last station of posting of the employee concerned or any other station where the children reside, without any restriction of pay drawn by the Govt. servant. If children studying in schools are put in hostels at the last station of posting or any other station, the Govt. servant concerned will be given hostel subsidy without other restrictions.

2. उप पैरा (4) के अतिरिक्त उपरोक्त आदेश यथोचित परिवर्तनों सहित अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू होंगे।

3. यह आदेश 1 नवम्बर, 1983 से प्रभावी होंगे तथा 31 अक्तूबर, 1986 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेंगे।

4. इस कार्यालय ज्ञापन में अन्तर्विष्ट आदेशों के प्रभावी होने की तारीख से पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले विद्यमान विशेष भत्ते, सुविधाएं और रियायतें समाप्त हो जाएगी।

5. पैराग्राफ 1 में वर्णित मामले को अन्य सिफारिशों के संबंध में जब भी सरकार द्वारा उन पर निर्णय लिया जाएगा, अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, कार्यालय ज्ञापन सं० 20014/2/83-ई-4 दिनांक 14 दिसम्बर, 1983)

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में तैनाती पर जाने वाले सिविलियन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा सामान्य मूल आवास रोंके रखना/वैकल्पिक सामान्य मूल आवासका आबंटन

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं० 20014/3/83-व्यय-4 दिनांक 14.12.1983 के तहत असम, मेघालय मणिपुर, नागलेण्ड और त्रिपुरा राज्यों तथा अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम और अंडमान तथा निकोबारद्विव समूह में कार्यरत सिविलयन केन्द्रीय सरकाररी कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों और सुविधाओं के बारे में अदोश जारी किए गए हैं। उपरोक्त राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में तैनाती पर जाने वाले ऐसे अधिकारियों को सामान्य मूल आवास को रोके रखने की अनुमति देने अथवा वैकल्पिक सामान्य मूल आवास का आबंटन मांगने के प्रश्न पर विचार किया गया है तथा अपने अंतिम तैनाती स्टेशन पर अपने विचार को रखने की इच्छा रखते हैं इस संबंध में राष्ट्रपति सहर्ष रूप से निम्नलिखित निर्णय करते हैं :–

(क) ऐसे अधिकारी को जोकि अंतिम तैनाती स्टेशन पर सामान्य पूल के ई टाइप तक के आवास में रहता है और वह परिवार के सदस्यों के इस्तेमाल के आवास को अपने पास रखना चाहता है, तो उसे उससे एक टाइप नीचे के वैकल्पिक आवास उसी स्थान अथवा निकटतम स्थान अथवा होस्टल आवास जैसा भी उपलब्ध हो, जिसमें वह रह रहा है की पेशकश की जाए। तथापि यदि ऐसा अधिकारी टाइप "बी" के आवास में रहता हो तो उसे वहीं आवास अपने पास रखने की अनुमति दी जाए। टाइप ई-1 तथा उससे ऊपर के आवास में रहने वाले अधिकारियों को वैकल्पिक आवास के रूप में टाइप "ई" आवास उपलब्ध काराया जाए।

(ख) उपरोक्त (क) में वर्णित अपने पास रखे हुए आवास के लिए लाइसेंस शुल्क की वसूली मानक लाइसेंस शुल्क से 1 1/2 गुणा की दर पर की जाएगी। यह दिए गए आवास के लिए वसूली एफ आर 45 के अधीन परिभाषित के अनुसार की जाएगी अथवा स्थानान्तरण की तारीख को एफ आर 45 ग के अधीन परिभाषित उसके द्वारा ली गई परिलब्धियों का 15 प्रतिशत जो भी कम हो, एस आर 317-ख 11(2) के अधीन आवास को रोक रखने की स्वीकार्य अवधि के पश्चात 15 प्रतिशत की दर से वसूली की जाएगी।

(ग) ऐसे अधिकारी को अंतिम तैनाती स्टेशन पर उसको पेश किए गए वैकल्पिक आवास की स्वीकृति देना आवश्यक है, जोकि सरकारी आवास को अपने पास रखने का इच्छुक है, अन्यथा उपरोक्त रियायत वापस ले ली जाएगी तथा उपरोक्त वर्णित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कहीं भी तैनाती से तत्काल पहले, उसके द्वारा अधिकार में रखने वाले आवास के संबंध में सरकारी आवास आबंटन/(दिल्ली में सामान्य पूल) नियम, 1963 के प्रावधान लागू होंगे।

(घ) अंतिम तैनाती स्टेशन से पदभार छोड़ने से एक महीने के अंदर सम्पदा निदेशालय को आवास को अपने पास रखने/वैकल्पिक आवास आबंटन को बनाए रखने के लिए अनुरोध किया जाए।

(ड) संबंधित अधिकारी का यह उत्तरदायित्व है कि वह सम्पदा निदेशालय को पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तैनात से तत्काल पूर्व पद भार छोड़ने की तारीख, पूर्वोत्तर क्षेत्र में नये पद ग्रहण की तारीख और उस क्षेत्र में कार्यभार सौंपने की तारीख के बारे में सूचित करें। संबंधित कार्यालय की इस बात को सुनिश्चित करेगा कि ऐसा सूचना सम्पदा निदेशालय को घटनाक्रम के एक महीने के भीतर पहुंच जाती है।

2. The above orders except in sub-para (iv) will also mutatis mutandis apply to Central Govt. employees posted to Andaman and Nicobar Islands.
3. These orders will take effect from 1st November, 1983 and will remain in force for a period three years upto 31st October, 1986.
4. All existing special allowances, facilities and concessions extended by any special order by the Ministries/Departments of the Central Govt. to their own employees in the North-Eastern Region will be withdrawn from the date of the effect of the orders contained in this Office Memorandum.
5. Separate orders will be issued in respect of other recommendations of the Committee referred to in paragraph 1 as and when decisions are taken on them by the Government.

(G.I.M.F., O.M. No. 20014/2/83-E-IV, dated the 14th December, 1983).

6. **Retention of general pool accommodation/allotment of alternative general pool accommodation to Civilian Central Government Employees posted to States and Union Territories of North-Eastern Region**—The Ministry of Finance (Department of Expenditure) have in their O.M. No. 20014/3/83-E. IV, dated 14-12-1983 issued orders regarding various allowances and facilities admissible to Civilian Central Government Employees serving in the States of Assam, Meghalaya, Manipur, Nagaland and Tripura and the Union Territories of Arunachal Pradesh, Mizoram and Andaman and Nicobar Islands. The question of granting of permission for retention of general pool accommodation or allotment of alternative general pool accommodation to such officers who are posted to the aforesaid States/Union Territories and who desire to keep their family at the last station of posting has been considered and the President is pleased to decide as follows:-

   (a) In the case of an officer, who may be in occupation of accommodation upto Type E in the 'General Pool' at the last station of his posting, alternative accommodation of one type below to the type of accommodation he was occupying in the same or nearby locality or Hostel accommodation, as may be available, may be offered to him if he requests for retention of accommodation for the bona fide use of the members of the family. However, if such an officer was in occupation of Type B accommodation, he may be permitted to retain the same accommodation. For an officer, who may be in occupation of Type E-1 and above, alternative accommodation in Type E may be provided.

   (b) The accommodation offered for retention as indicated in (a) above will be subject to recovery of licence fee at the rate of 1½ times the standard licence fee as defined under F.R. 45-A for the accommodation offered or 15% of the emoluments drawn by him as defined under F.R. 45-C on the date of his transfer, whichever is less, for the period beyond the permissible period for retention of the residence under S.R. 317-B 11(2).

   (c) It is obligatory for the officer desiring retention of Government accommodation at the station of his last posting to accept the alternative accommodation offered to him, failing which the above concession will be withdrawn and the provision of the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963 will apply, with regard to the Government accommodation in his occupation immediately before his posting to any of the aforementioned States/Union Territories.

   (d) The request for retention of accommodation/allotment of alternative accommodation should reach the Directorate of Estates within one month of his relinquishment of charge at the last station of his posting.

   (e) It is responsibility of the officer concerned to intimate to the Directorate of Estates, the date of relinquishment of charge immediately prior to his posting in the North-Eastern Region the date of joining the new post in the North-Eastern region and the date of handing over charge in that Region. The concerned office will also ensure that such intimation is sent to the Directorate of Estates within one month of the event.

(च) पुराने केन्द्र पर सरकारी आवास का आबंटन अपने पास रखने की सुविधा उस सूरत में भी उपलब्ध रहेगी यदि सरकारी कर्मचारी का पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र के किसी अन्य राज्य में स्थानान्तरण हो जाता है

2. सिक्किम राज्य और संघ शासित क्षेत्र लक्ष्यद्वीप में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अधिकारियों के अतिरिक्त इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 12035/24(/77-पूल 2 दिनांक 30.6.78 में अन्तर्विष्ट सभी आदेशों का इन आदेशों द्वारा अधिक्रमण किया जाता है।

3. ये आदेश। नवम्बर, 1983 से प्रभावी होंगे तथा 31 अक्तूबर, 1986 तक की तीन वर्षों की अवधि तक लागू रहेंगे।

4. इन आदेशों के अन्तर्गत आये सभी अधिकारी जोकि सामान्य पूल आवास रखना चाहते हैं अथवा अपने से पूर्व तैनाती स्थल पर वैकल्पिक आवास चाहते हैं, तो उन्हें इन आदेशों के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर संबंधित सम्पदा निदेशालय/ क्षेत्रीय कार्यालय को इस उद्देश्य के लिए आवेदन करना होगा।

5. जहां तक रेलवे, रक्षा, डाक और तार आदि मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियंत्रित आवास का संबंध है, संबंधित मंत्रालय अलग से आदेश जारी करेगा।

(भारत सरकार, निर्माण और आवास मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन सं० 12035/24/77-पूल-2 दिनांक 15.2.84).

1. राष्ट्रपति सहर्ष निर्णय करते हैं कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन सं० वर्णित आदेश लक्षद्वीप को यथोचित संशोधन सहित लागू होंगे।

2. ये आदेश जहां तक संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप का संबंध है, कार्यालय ज्ञापन सं०, 12035/24/77-पूल-2 दिनांक 3.6.78 में अंतर्विष्ट आदेश का स्थान लेंगे।

3. ये आदेश 1.3.1984 से लागू होंगे।

4. इन आदेशों के अधीन वाले अधिकारियों को इन आदेशों को जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर सम्पदा निदेशालय/ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन करना होगा।

5. उपरोक्त वर्णित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 15.2.1984 के पैरा 4 में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि कार्यालय ज्ञापन में वर्णित अधिकारी 15.2.1984 से तीन महीनों के भीतर (एक महीने की बजाय) आवेदन कर सकते हैं।

6. सम्पदा निदेशालय/क्षेत्रीय कार्यालय को अनुरोध करने के लिए प्रार्थना पत्र संलग्न है।

(भारत सरकार, निर्माण और आवास मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन सं० 12035(24)/77-पाल-2 दिनांक 2 जून, 1984).

(f) The facility of retaining allotment of Government accommodation in the previous/station will also be available, if the Government servant is transferred from one State/Union Territory to another within the North-Eastern Regions.

2. These orders are in supersession of the orders contained in this office O.M. No. 12035 (24) 77-Pol. II, dated 30-6-1978, except in so far as officers who are sent on deputation to the State of Sikkim and the Union Territory of Lakshadweep are concerned.

3. These orders will take effect from 1st November, 1983 and will remain in force for a period of three years up to the 31st October, 1986.

4. All officers, who are covered by these orders and who are either retaining general pool accommodation or want alternative accommodation at their earlier place of posting may apply within a period of one month from the date of issue of these orders to the Directorate of Estates/Regional Officer concerned for the purpose.

5. In so far as the accommodation controlled by other Ministries/Departments such as Railways, Defence, P&T etc., are concerned, the concerned Ministry will issue separate orders.

(G.I., Min. of Wks. & Housing, O.M. No. 12035 (24) 77-Pol. II, dated the 15th February, 1984.)

1. President is pleased to decide that the orders contained in the abovementioned O.M. will also, *mutatis mutandis,* apply to civilian Central Government employees posted to Lakshadweep.

2. These orders supersede the orders contained in the O.M. No. 12035(24)/77-Pol. II, dated 30-6-78 in so far as the Union Territory of Lakshadweep is concerned.

3. These orders will take effect from 1st March, 1984.

4. Those officers who come within the purview of these orders may apply to the Directorate of Estates/concerned Regional Offices within three months from the date of issue of these orders.

5. In partial modification of para 4 of O.M. dated 15-2-1984, referred to above, it has also been decided that the officers covered under that O.M. may also apply within three months (instead of one month) from 15-2-1984.

6. An application form in which request may be made to the Directorate of Estates/Regional Office, is enclosed.

(G.I., Min. of Wks. & Housing, O.M. No. 12035 (24)/77-Pol.II, dated the 2nd June, 1984.)

असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों तथा अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में तैनात सिविलियन केन्द्रीय चारियों को सामान्य पूल से आवास के आबंटन के लिए प्रार्थना पत्र

सेवा में

सम्पदा निदेशक निदेशालय/सम्पदा प्रबन्धक/
सहायक सम्पदा प्रबन्धक

महोदय,

मैंने (तारीख) को मंत्रालय/कार्यालय (कार्यालय का नाम) (स्टेशन का नाम) पर अपने पूर्व तैनात स्थल पर (पदनाम पद) को (पदनाम) पद पर राज्य/संघशासित क्षेत्र में (राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम) के कार्यालय में पद ग्रहण कर लिया है। मैं सामान्य पूल का आबंटिती हूं और अपने परिवार को अंतिम तैनाती स्थल पर रखना चाहता हूं अत: मेरे परिवार के सदस्यों के वास्तविक इस्तेमाल के लिए आदेशों के अनुसार वैकल्पिक सामान्य पूल आवास आबंटित किया जाए। आवश्यक विवरण दिए जा रहे हैं :

(1) वर्तमान में अधिकृत सामान्य पूल आवास का ब्यौरा–
(क) टाइप
(ख) पूरा डाक पता

(2) स्थानान्तरण की तारीख को ली जा रही पूल परिब्धियाँ (नगर प्रतिपूरक भत्ता सहित एफ आर 45 सी में परिभाषित के अनुसार

(3) प्राथमिकता क्रम में कालोनी का नाम, जहां कि वैकल्पिक आवास चाहिए।

(4) कृपया इंगित करें कि क्या होस्टल आवास चाहिए। यदि हाँ तो किस स्थान पर

(5) क्या पिछले तैनाती स्थल पर पद त्याग के एक महीने के भीतर अनुरोध किया गया है।

(6) आपके द्वारा नामित उस व्यक्ति का नाम और डाक, पता जोकि आपकी ओर से आबंटन की स्वीकृति की सूचना देगा तथा वैकल्पिक आवास का कब्जा लेगा (नाम निर्देशन की एक प्रति आपके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति को भी भेजी जाए) आबंटन पत्र की एक प्रति आपके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति को भी भेजी जाएगी।

(7) उस व्यक्ति का नाम और डाक का पूरा पता जोकि लाइसेंस शुल्क जमा कराएगा।

2. जैसा कि मेरा उपरोक्त वर्णित राज्य/संघशासित क्षेत्र से स्थानान्तरण होगा मैं ऐसे स्थानान्तरण के बारे में स्थानान्तरण के 15 दिन के भीतर संबंधित सम्पदा निदेशालय/क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करने का वचन देता हूं।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
मंत्रालय/विभाग
का नाम

नियंत्रण अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन

सं०

दिनांक

सम्पदा निदेशालय/सम्पदा प्रबंधक/सहायक सम्पदा प्रबन्धक को अग्रेषित

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

Application form for allotment of general pool accommodation in respect of civilian Central Government employees posted to the States of Assam, Meghalaya, Manipur, Nagaland and Tripura and Union Territories of Arunachal Pradesh, Mizoram, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep.

To

The Director of Estates/Estate Manager/Assistant Estate Manager, ...

Sir,

I relinquished charge of my previous posting as ..... (Designation), Ministry/Office ..... (date) ..... and have joined on ..... date ..... (Name of office) at ..... (Name of station) on ..... (designation) in the office of ..... in the State/Union Territory of ..... (name of State/Union Territory). I am an allottee of general pool accommodation and desire to keep my family at the last station of posting. I may, therefore, be allotted alternative general pool accommodation as per orders for the bona fide use of the members of my family. Necessary particulars are furnished below:—

(1) Details of general pool accommodation at present occupied .....
   (a) Type
   (b) Full postal address
(2) Emoluments drawn (as defined under F.R. 45-C including C.C.A.) on the date of transfer.
(3) Preference for the colony where alternative accommodation is required.
(4) Please indicate whether hostel accommodation is required. If so, where?
(5) Has the request been made within one month of relinquishing of charge at the last station of posting?
(6) Full name and Postal address of the person nominated by you who will convey acceptance, on your behalf, of allotment and take possession of the alternative accommodation. (A copy of the nomination letter may please be sent by you to nominee also). A copy of the allotment letter will also be endorsed to your nominee.
(7) Name and full postal address of the person who shall deposit licence fee.

2. As soon as I am transferred from the State/Union Territory mentioned above, I undertake to inform the Directorate of Estates/Regional Office concerned about such transfer, within 15 days of such transfer.

Signature
Name
Designation
Name of Ministry/Department

Endorsement by the Controlling Office

No. **Date:**

Forwarded to the Directorate of Estates/Estate Manager/Assistant Estate Manager.

Signature
Name
Designation

7. मकान किराया भत्ते की अदायगी

अद्योहस्ताक्षरी को उपरोक्त वर्णित विषय पर इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 14 दिसम्बर, 1983 के पैरा 5 का उल्लेख करने और यह करने का निर्देश हुआ है कि असम, मेघालय, मणिपुर नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों तथा अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तैनात केन्द्रीय सरकारी सिविलियन कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने पर विचार किया गया है और राष्ट्रपति ने सहर्ष निष्कर्ष अनुसार निर्णय किया है :–

(क) उपरोक्त वर्णित राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में तैनाती से पूर्व अंतिम तैनाती स्थल पर किराये पर लिए गए गैर-सरकारी आवास में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उस स्टेशन पर स्वीकार्य मकान किराया भत्ता मिलता रहेगा।

(ख) ऐसे केन्द्रीय सरकारी सिविलियन कर्मचारियों जोकि उपरोक्त राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में तैनाती के लिए स्थान पर भी किराये पर किए गए गैर सरकारी आवास में रहते हैं, को उपरोक्त (क) में वर्णित के अतिरिक्त नये तैनाती स्थान पर स्वीकार्य दरों पर मकान किराया भत्ता भी मिलेगा।

(ग) उपरोक्त वर्णित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य किसी राज्य/संघशासित क्षेत्र के किसी स्थान पर स्थानान्तरित होने पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उपरोक्त (क) और (ख) में वर्णित लाभ मिलते रहेंगे।

2. ये आदेश 1 नवम्बर, 1983 से लागू होंगे और 31 अक्तूबर, 1986 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेंगे।

(भारत सरकार, वित्त मंत्रालय/कार्यालय ज्ञापन सं० 11066/1/व्यय-2 (ख)-84 दिनांक 29 मार्च, 1984).

अद्योहस्ताक्षरी को इस मंत्रालय के उपरोक्त विषय पर 29 मार्च, 84 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का उल्लेख करने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रपति ने सदैव निर्णय किया है कि उपरोक्त कर्यालय ज्ञापन में वर्णित आदेश लक्षद्वीप में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी लागू होंगे।

2. ये आदेश 1 मार्च, 1984 से लागू होंगे।

(भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन सं० 11016/1/व्यय/2 (ख) दिनांक 21 मई, 1984)

7. **Payment of House Rent Allowance—**The undersigned is directed to refer to para. 5 of this Ministry's O.M. No. 20014/3/83-E. IV, dated the 14th December, 1983, on the subject noted above, and to state that the question of payment of House Rent Allowance to Central Government Civilian employees who are posted in the State of Assam, Meghalaya, Manipur, Nagaland and Tripura and the Union Territories of Arunachal Pradesh, Mizoram and Andaman & Nicobar Islands has been considered and the President is pleased to decide as follows:—

(a) Central Government employees who were in occupation of hired private accommodation at the last station of posting before transfer to any of the State/Union Territories mentioned above may be allowed to draw House Rent Allowance admissible to them at that station.

(b) Such Central Government Civilian employees may also be allowed to draw, in addition to (a) above, House Rent Allowance at the rates admissible at the new place of posting in the aforesaid States/Union Territories in case they live in hired private accommodation.

(c) The benefits mentioned in (a) and (b) above will also be admissible to Central Government employees who get transferred from one station of a State/Union Territory of the North-Eastern Region to another State/Union Territory of the North-Eastern Region mentioned above.

2. These orders will take effect from 1st November, 1983 and will remain in force for a period of there years up to 31st October, 1986.

(G.I., M.F., O.M. No. 11016/1/E. II(B)/84, dated the 29th March, 1984.)

The undersigned is directed to invite reference to this Ministry's Office Memorandum of even number, dated the 29th March, 1984 on the subject and to state that the President is pleased to decide that the orders contained in the above Office Memorandum will also *mutatis mutandis* apply to the Central Government employees posted in Lakshadweep.

2. These orders will take effect from 1st March, 1984.

(G.I., M.F., O.M. No. 11016/1/E.II(B)/84, dated the 21st May, 1984.)

अनुलग्नक III

(देखिए पैरा (7))

पत्नी और पति की एक ही स्थान पर तैनाती

पति और पत्नी दोनों के·····सरकारी सेवा अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सेवा में होने पर एक ही स्थान पर तैनाती से संबंधित स्थानांतरण नीति तैयार करने के प्रश्न को अनेकों अवसरों पर संसद और अन्य फोरम में उठाया गया है। सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारी और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी के एक ही स्थान पर तैनाती के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले को निर्णय उसके गुणों-अवगुणों के अनुसार किया जाता है।

2. भारत सरकार ने सभी क्षेत्रों और जीवन के प्रत्येक पहलू में महिला के दर्जे में वृद्धि करने के महत्त्व को काफी महत्तव दिया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा योजनाएं और नितियाँ तैयार तथा लागू की जा रही हैं। यह भी आवश्यक समझा गया है कि इस प्रकार की नीति तैयार की जाए ताकि सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत महिलाएं, को एक ओर पत्नी/माता के रूप में तथा दूसरी और उत्पादनकारी कार्यकर्ता के रूप में अपने उत्तरदायित्वों को अधिक प्रभावकारी रूप से निभाने में सहायता मिल सके। यह भी सरकार की नीति है कि जहाँ तक भी संभव हो और प्रशासनिक संभाव्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पत्नी और पति को एक ही स्थान पर तैनात किया जाए ताकि वे सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें और अपने बच्चों की शिक्षा तथा उसके कल्याण का ध्यान रख सकें।

3. फरवरी 1976 में तत्कालीन समाज कल्याण विभाग ने सभी मंत्रालय और विभागों को एक अर्द्ध सरकारी पत्र भेजकर अनुरोध किया गया था कि पत्नी और पति दोनों को एक ही स्थान पर तैनात करने पर गंभीरता से विचार किया जाए। तथापि, महिला कर्मचारियों से मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला कल्याण विभाग को अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं जिसमें अपने पति के तैनाती स्थान पर तैनाती चाहने वाले पत्नियों द्वारा उस विभाग की मदद माँगी जाती है। इसलिए जब यह निर्णय किया है कि कम से कम केन्द्रीय सरकारी/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के क्षेत्राधिकार में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में एक मुख्य नीति निर्धारित की जाए। इसलिए निम्नलिखित पैराग्राफों में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने का प्रयास किया गया है ताकि संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी पत्नी अथवा पति को एक ही स्थान पर तैनात करने के अनुरोध पर विचार कर सके। प्रारंभ में, यह स्पष्ट किया जाए कि प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारी को इस नीति के कार्य क्षेत्र में लाना संभव न हो क्योंकि पति/पत्नी की परिस्थितियाँ नाना रूप और अलग अलग होती हैं। इस उपरोक्त मार्गदर्शी सिद्धांत उदाहरणात्मक हैं और सर्वांगीण नहीं है। सरकार की इच्छा है कि ऐसे सभी अनुरोधों पर संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अत्यधिक सहानुभूति से विचार किया जाए।

4. ऐसे मामले, जोकि उत्पन्न हो सकते हैं, और प्रत्येक किस्म के मामले पर विचार करने के लिए, निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए गए हैं :

(1) जहाँ कि पत्नी/पति एक ही अखिल भारतीय सेवा अथवा दो अखिल भारतीय सेवाओं अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा (ग्रुप "क") से संबंध रखते हैं तो पत्नी/पति को उनके संवर्ग स्थानांतरण द्वारा एक ही संवर्ग में तैनात किया जाएगा बशर्ते कि इस प्रक्रिया में उन्हें उनके गृह संवर्ग में तैनात नहीं किया जना चाहिए। तथापि संवर्ग के अन्तर्गत तैनाती राज्य सरकार के क्षेत्राधिकारी में आती है।

(2) जबकि पत्नी/पति अखिल भारतीय सेवा के हों और पति/पत्नी किसी केन्द्रीय सेवा के हों, को केन्द्रीय सेवा के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी संबंधित अधिकारी को उस स्थान पर तैनात कर सकता है अथवा उस स्थान पर कोई पद न हो, तो उसे अखिल भारतीय सेवा वाले राज्य में तैनात किया जा सकता है।

(3) पति/पत्नी के एक ही केन्द्रीय सेवा में होने पर संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी पति/पत्नी को एक ही स्थान पर तैनात कर सकते हैं।

ANNEXURE III

(See Paragraph 7)

POSTING OF WIFE & HUSBAND TOGETHER

The question of formulation of a policy regarding the posting at the same place of husband and wife who are in Govt. service or in the service of Public Sector Undertakings has been raised in Parliament and other forums on several occasions. Govt's position has been that requests of government servants and employees of public sector undertakings for posting at the same station usually receive sympathetic consideration, and that each case is decided on merits, keeping in view the administrative requirements.

2. The Government of India have given the utmost importance to the enhancement of women's status in all sectors and all walks of life. Strategies and policies are being formulated and implemented by different Ministries of the Central Govt. to achieve this end. It is also considered necessary to have a policy which can enable women employed under the Govt. and the Public Sector Undertakings, to discharge their responsibilities as wife/mother on the one hand and productive workers on the other, more effectively. It is the policy of the Government that as far as possible and within the constrains of administrative feasibility, the husband and wife should be posted at the same station to enable them to lead a normal family life and to ensure the education and welfare of their children.

3. In February, 1976, the then Department of Social Welfare had issued a circular D.O. letter to all Ministries and Deptts. requesting them to give serious consideration to the question of posting husband and wife at the same station. However, representations continue to be received by the Department of Women's Welfare in the Ministry of Human Resources Development from women seeking the intervention of that Department for a posting at the place where their husbands are posted. It has, therefore, now been decided to lay down a broad statement of policy at least with regard to those employees who are under the purview of the Central Govt./Public Sector Undertakings. An attempt has, therefore, been made in the following paragraphs to lay down some guidelines to enable the cadre controlling authorities to consider the request from spouse for a posting at the same station. At the outset, it may be clarified that it may not be possible to bring every category of employee within the ambit of this policy as situations of husband/wife employment are varied and manifold. The guidelines given below are, therefore, illustrative and not exhaustive, Govt. desire that in all other cases the Cadre Controlling Authority should consider such requests with utmost sympathy.

4. The classes of cases that may arise, and the guidelines for dealing with each class of case, are given below:-

   i) Where the spouses belong to the same All India Service or two of the All India Services, namely IAS, IPS and Indian Forest Service (Group A). The spouses will be posted to the same cadre by providing for a Cadre transfer of one spouse to the Cadre of the other spouse subject to their not being posted by this process of their home cadre, Postings within the Cadre will, of course, fall within the purview of the State Government.

   ii) Where on spouse belongs to one of the All India Services and the other spouse belongs to one of the Central Services. The cadre Controlling Authority of the Central Service may post the Officer to the Station, or if there is no post in that station, to the State where the other spouse belonging to the All India Service is posted.

   iii) Where the spouses belong to the same Central Service: The Cadre Controlling Authority may post the spouses to the same station.

(4) पति/पत्नी के अलग अलग केन्द्रीय सेवा में होने पर दोनों में किसी स्थान पर पर अधिकतम सेवा वाला यथोचित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी को आवेदन करेगा और प्राधिकारी, उक्त अधिकारी को उस स्थान पर तैनात कर सकता है और अगर उस स्थान पर कोई पद न हो तो अन्य केन्द्रीय सेवा के पत्नी/पति के तैनाती स्थान पर तैनात किया जा सकता है।

(5) पत्नी/पति में से एक के अखिल भारतीय सेवा तथा दूसरे के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की सेवा में होने पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में नियोजित पति/पत्नी सक्षम अधिकारी को उस स्टेशन पर तैनात कर सकता है अथवा यदि उस स्थान पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में कोई पद खालीह नहीं हे तो उसे संबंधित राज्य में तैनात किया जा सकता है जहाँ कि पत्नी/पति तैनात हैं।

(6) पति/पत्नी में से एक के केन्द्रीय सेवा तथा दूसरे के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में की सेवा में होने पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में नियोजित पति/पत्नी सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है तथा उक्त प्राधिकारी संबंधित अधिकारी को उस स्टेशन पर तैनात कर सकता है अथवा यदि उस स्थान पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम मे कोई पद खाली नहीं है तो उस संबंधित राज्य में तैनात किया जा सकता है जहाँ कि पत्नी/पति तैनात हैं। यदि, फिर भी, अनुरोध को इसलिए नहीं माना जा सकता है क्योंकि उक्त राज्य के स्टेशन पर उपक्रम का कोई पद नहीं है तो केन्द्रीय सेवा से संबंधित पत्नी/पति यथोचित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है और उक्त प्राधिकारी संबंधित अधिकारी को उस स्टेशन पर तैनात कर सकता है अथवा यदि उस स्टेशन पर कोई पद नहीं है तो उस राज्य में जहाँ कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में पत्नी/पति तैनात हैं, स्थानांतरित किया जा सकता है।

(7) पत्नी/पति में से एक के केन्द्रीय सरकार कें अधीन तथा दूसरे के राज्य सरकार के अधीन नियोजित होने पर केन्द्रीय सरकार में नियोजित पत्नी/पति सक्षम प्राधिकारी को आवेदन दे सकता है और सक्षम प्राधिकारी उक्त अधिकारी को उस स्टेशन पर तैनात करेगा अथवा यदि उस स्टेशन पर कोई पद नहीं है तो उस राज्य में तैनात किया जाएगा जहाँ कि पति/पत्नी तैनात है।

5. उपरोक्त दिए गए उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि सभी आने वाले मामलों पर विचार करना संभव नहीं होता। वास्तव में इस बात की आशा करना ही संभव नहीं है कि प्रत्येक मामले पर विचार किया जाएगा। उपरोक्त दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत न आने वाले मामलों पर उस भावना से विचार किया जाएगा जिस भावना से ये मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। जहाँ तक भी संभव हो, प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पति और पत्नी को एक साथ तैनात करने के मुख्य उद्देश्य को सुनिश्चित किया जाए।

(प्राधिकार : कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (और प्रशिक्षण विभाग) कार्यालय ज्ञापन सं० 28034/7/86-स्थापना (क) दिनांक 3.4.86, इस निदेशालय के ज्ञापन सं० 7/3/86-एस जी ओ आर दिनांक 27.5.86 के अंतर्गत परिचालित)

iv) Where the spouse belongs to one Central Service and the other spouse belongs to another Central Service: The spouse with the longer service at a Station may apply to the appropriate Cadre Controlling Authority and the said authority may post the said Officer to the Station, or if there is no post in that station where the other spouse belonging to the other Central Service is posted.

v) Where one spouse belongs to an All India Service and the other spouse belongs to a Public Sector Undertaking:- The spouse employed under the Public Sector Undertaking may apply to the competent authority and said authority may post the said Officer to the Station, or if there is no post under the PSU in that station, to the State where the other spouse is posted.

vi) Where one spouse belongs to a Central Service and the other spouse belongs to a PSU:-The spouse employed under the PSU may apply to the competent authority and the said authority may post the same Officer to the Station, or if there is no post under the PSU in that station, to the State where the other spouse is posted. If, however, the request cannot be granted because the PSU has no post in the said Station State, then the spouse belonging to the Central Service may apply to the appropriate Cadre Controlling Authority and the said authority may post the said Officer to the Station, or if there is no post in that station, to the State where the spouse employed under PSU is posted.

vii) Where one spouse is employed under the Central Government and the other spouse is employed under the State Govt.:- The spouse employed under the Central Government may apply to the competent authority and the competent authority may post the said Officer to the Station or if there is no post in that station, to the State where the other spouse is posted.

5. As will be seen from the illustrations given above, they do not cover all possible categories of cases which may arise. In fact it is not possible to anticipate all the categories of cases. Each case, not covered by the above guidelines, will have to be dealt with keeping in mind the spirit in which these guidelines have been laid down and the larger objective of ensuring that a husband and wife are, as far as possible and within the constraints of administrative convenience, posted at the same station.

(Authority: Min. of Personnel Public Grievances & Pension (Deptt. of Personnel and Training O.M. No. 28034/7/86-Estt (A) dated 3.4.86 circulated vide this Dte. Memo No. 7/3/86-Scor dated 27.5.86).